आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Empowerment Department (Director, Developing Castes Welfare), Government of Gujarat

Financial Loan for Training of Commercial Pilot

गुजरात सरकार कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग लेने वाले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को 4% ब्याज पर 25 लाख रुपये का लोन देती है।

क्या मिल सकता है

कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए 25 लाख रुपये का लोन, सालाना 4% साधारण ब्याज पर। किस्त चूकने पर 2.5% दंड ब्याज लगता है।

किसके लिए है

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी, जो निदेशक, विकसित जाति कल्याण के अंतर्गत आते हैं और कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं।

मुख्य शर्तें

- उम्मीदवार ने मैट्रिक, उच्च माध्यमिक या उसके बराबर की स्कूल परीक्षा पास की हो।
- उम्मीदवार को ट्रेनिंग संस्था की तय सभी शैक्षणिक, तकनीकी और दूसरी शर्तें पूरी करनी होंगी।
- आय की कोई सीमा नहीं है।
- एक सक्षम जमानतदार देना होगा।
- लोन मंजूर होने के बाद अभिभावक की संपत्ति, और वह संभव न हो तो जमानतदार की संपत्ति, सरकार के पास गिरवी रखनी होगी।
- वापसी रकम मिलने के एक साल बाद शुरू होती है। मूल रकम 10 साल में और ब्याज 2 साल में चुकाया जाता है, यानी पूरी रकम 12 साल में पूरी होती है।

दस्तावेज़

- जाति प्रमाणपत्र
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- पारिवारिक आय का प्रमाणपत्र, इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16
- 10वीं से अंतिम परीक्षा तक के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां
- ट्रेनिंग संस्था का प्रवेश सहमति पत्र
- ट्रेनिंग के खर्च का अनुमान
- विदेश में ट्रेनिंग के लिए पासपोर्ट, वीजा और हवाई टिकट की प्रतियां
- अभिभावक की संपत्ति का प्रमाण और मूल्यांकन रिपोर्ट

आवेदन कैसे करें

1. वेबसाइट esamajkalyan.gujarat.gov.in पर जाएं, निदेशक विकसित जाति कल्याण का भाग खोलें और कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग लोन चुनकर आवेदन फॉर्म और कागजात की सूची देखें।
2. ऑनलाइन फॉर्म भरें, कागजात अपलोड करें और जमा करें। प्रिंटआउट निकालकर अपलोड किए कागजात उसके साथ लगाएं।
3. प्रिंटआउट की दो प्रतियां कागजात सहित अपने जिला कार्यालय में जमा करें, जो आवेदन की जांच करता है। जानकारी अधूरी हो तो फॉर्म पूरा करने के लिए लौटा दिया जाता है।
4. जिला कार्यालय आवेदन निदेशक, विकसित जाति कल्याण को भेजता है, जिनका कार्यालय आवेदनों की क्रम से जांच करके आदेश आपको और जिला कार्यालय को भेजता है।
5. मंजूरी के बाद जिला कार्यालय से तय नमूने का गिरवी पत्र लेकर उसका पंजीकरण कराएं। मूल पंजीकृत गिरवी पत्र जमा होने पर रकम विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1496
आधिकारिक आवेदन: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx?ServiceID=S95cykguA3/jdU/tiN20VA==
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/gujarat/gj-ddcw-commercial-pilot-training-loan/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।